



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 दिसम्बर, 2014

अग्रहायण 13, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1529/79-वि-1-14-1(क)-10-2014

लखनऊ, 04 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014 पर दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2014 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2014)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

अधीनस्थ सेवा की कतिपय श्रेणियों के लिए राज्य में एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 20 जून, 2014 को प्रवृत्त होगा।

लागू होना

2—इस अधिनियम के उपबन्ध समूह 'ख' से निम्न समूह 'ग' के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत सचिवालय के पद भी हैं, और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह 'ग' के पदों पर भी लागू होंगे :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य-क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है।

अपवाद

3—इस अधिनियम की कोई बात—

(क) राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के सचिवालय में;

(ख) उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय के अधीन;

(ग) राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन;

(घ) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 के अधीन नियुक्त लोक आयुक्त के अधीन;

(ङ) पुलिस अधिनियम, 1861 द्वारा शासित, किसी पद पर भर्ती के संबंध में लागू नहीं होगी।

परिभाषाएँ

4—जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में, —

(क) "नियुक्त प्राधिकारी" का तात्पर्य, किसी सेवा या पद के सम्बन्ध में, ऐसी सेवा में या पद पर नियुक्त करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "आयोग" का तात्पर्य धारा 5 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है;

(घ) "समूह 'ग' के पद" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है;

(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;

(च) "अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों से है;

(छ) "सचिव" का तात्पर्य आयोग के सचिव से है;

(ज) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है, जिसमें भर्ती की जानी है।

अध्याय - दो

आयोग की स्थापना

आयोग की स्थापना

5—(1) ऐसे दिनांक को और से, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, एक आयोग स्थापित किया जायेगा, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नाम से जाना जायेगा।

(2) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2006) के उपबन्धों के अधीन स्थापित आयोग के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवाएं, जो उस आयोग में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सेवारत थे, आयोग को उसकी स्थापना के दिनांक को और दिनांक से अन्तरित हो जायेंगी।

आयोग की संरचना

6—(1) आयोग में एक अध्यक्ष और आठ से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर नियुक्त करे:

परन्तु यह कि कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा किन्तु अपनी पदावधि के पश्चात् सदस्य या अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति या पद पर बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए या यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो ऐसे कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति, जब तक कि उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति पद ग्रहण न कर ले या, जब तक कि अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः ग्रहण न कर ले, ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

7-अध्यक्ष और अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाएंगे:

परन्तु यह कि जहां तक हो सके, आयोग के आधे सदस्य वे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपनी-अपनी नियुक्ति के दिनांक को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन समूह 'क' के पदों पर कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण किये हों।

8-(1) अध्यक्ष आयोग के प्रशासन का प्रभारी होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-

(क) एक या अधिक गैर-सदस्यों सहित या उनके बिना सदस्यों में से समितियों या उप-समितियों का गठन करना;

(ख) सदस्यों, समितियों और उप-समितियों को ऐसा कार्य आवंटित करना जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से आवंटित न किया गया हो;

(ग) आयोग एवं उसके सदस्यों के कार्य का समन्वय करना;

(घ) सदस्यों और आयोग के अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करना और उनके दौरे के कार्यक्रम को अनुमोदित करना।

(2) सदस्यगण, अभ्यर्थियों की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के संचालन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे और ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो उन्हें इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों या विनियमों के द्वारा या उसके अधीन या अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवंटित किये जायें।

9-(1) अध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु यह कि कोई सदस्य, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है, अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या पाँच वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर, जो भी पहले हो, इस रूप में पदधारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकता है।

(3) अध्यक्ष या अन्य सदस्य को इस आधार पर कि उसने धारा 10 में विनिर्दिष्ट कोई अनर्हता प्राप्त कर ली है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा यथाविहित रीति में की गयी जाँच जिसमें कि ऐसे सदस्य को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप सूचित किये गये हों और उन आरोपों के सम्बन्ध में उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर भी दिया गया हो, के पश्चात् कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।

10-अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति अनर्ह हो जायेगा यदि वह -

(क) अनुमोचित दिवालिया हो जाए;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता हो, दोषसिद्ध हो और कारावास की सजा दी गयी हो;

(ग) अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो।

11-आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए लेना चाहें।

12-आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि -

(क) आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है;

(ख) अध्यक्ष या उसके अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है; या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं पड़ता है।

अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति

अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की शक्तियाँ और कर्तव्य

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिये अनर्हता

सहयुक्त करने की शक्ति

आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

आयोग का
सचिव

13-(1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया आयोग का एक सचिव होगा जो आयोग के कार्यालय का प्रधान होगा।

(2) सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किये जायें या जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाय।

आयोग के
आदेशों का
अधिप्रमाणीकरण

14-आयोग के सभी विनिश्चय और आदेश सचिव या इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय—तीन

आयोग की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य का आवंटन

आयोग की
शक्तियां और
कर्तव्य

15-(1) आयोग की शक्तियां और कर्तव्य होंगे -

(क) भर्ती की रीति से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना;

(ख) परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना;

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञों का चयन और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना;

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसी विहित की जाय।

(2) आयोग, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में ऐसे नियमों और विनियमों द्वारा जैसे इस निमित्त बनाये जाएं, मार्गदर्शित होगा।

आयोग द्वारा
किये जाने वाले
कार्य

16-आयोग, अपना कार्य, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या उसकी किसी समिति द्वारा अपने कृत्यों का सम्पादन करना भी है, सुविधा से करने के लिए राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बनायेगा और ऐसे विनियमों के अनुसार किया गया कार्य आयोग द्वारा किया गया कार्य समझा जायेगा :

परन्तु राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे विनियम को मूल या उपांतरित रूप में अपना अनुमोदन दे।

अध्याय—चार

रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना और नियुक्तियां

रिक्तियों का
अधिसूचित
किया जाना

17-(1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और इस निमित्त तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

(2) रिक्तियां ऐसी रीति से आयोग को अधिसूचित की जायेंगी जैसी विहित की जायें।

आयोग द्वारा
चयन

18-(1) आयोग, धारा 17 के अधीन रिक्तियों की सूचना के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र परीक्षा आयोजित करेगा या साक्षात्कार करेगा या दोनों ही करेगा और उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की ऐसी रीति से, जैसा विहित किया जाय, एक सूची तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जाएगी और नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार भेजी गयी सूची से उसमें उल्लिखित क्रम में नियुक्तियां करेगा।

अध्याय—पांच

आयोग के समक्ष कार्य

बैठक में निर्णय

19-आयोग की किसी बैठक में सभी नामलों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

गणपूर्ति

20-आयोग की किसी बैठक के लिए सदस्यों की कुल संख्या के आधे से गणपूर्ति होगी :

परन्तु यह कि गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

अध्याय—छः

वार्षिक रिपोर्ट

21—आयोग प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के कार्यकलाप का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय—सात

प्रकीर्ण

22—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

23—(1) आयोग, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के संबंध में जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन चयन करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करने या साक्षात्कार करने या दोनों के लिए फीस लेना भी है, विनियम बना सकती है या उन्हें संशोधित कर सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों, उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

24—किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम के अधीन, सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 7
सन् 2014

25—(1) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (द्वितीय) अध्यादेश, 2014 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 5
सन् 2014

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अध्यादेश, 2014 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

यह आवश्यक है कि राज्य के प्रशासनिक विभागों में कतिपय पदों पर नियुक्ति के लिये सुयोग्य, संमर्थ एवं परिश्रमी कार्मिकों का चयन किया जाय। यह भी आवश्यक है कि उनके चयन में गुणवत्ता, निष्पक्षता और पारदर्शिता लाना सुनिश्चित किया जाय। यद्यपि संवैधानिक स्तर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संस्था विद्यमान है। तथापि उसके कार्यों पर बढ़ते दबाव के कारण समूह "ग" के पदों पर चयन के संबंध में कठिनाई महसूस की जा रही है। हाल ही के विगत अवधि में समूह "ग" के पदों पर चयन राज्य सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन किया जा रहा था, किन्तु विभागाध्यक्षों को उक्त चयन के लिए अत्यधिक समय लगाना पड़ता था, जिसका शासकीय कार्यों के साथ-साथ लोकहित के कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी कारणों से यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि समूह "ग" के कतिपय पदों पर यथासमय चयन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदृश अध्यक्ष एवं सदस्यों को सम्मिलित करके एक स्वतंत्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया जाय। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि राज्य में समूह "ग" के कतिपय पदों पर चयन के लिए एक विधि बनाकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नाम से एक आयोग की स्थापना की व्यवस्था की जाय।

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 जून, 2014 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2014) प्रख्यापित किया गया। उक्त अध्यादेश के उपबंध, अपरिहार्य कारणों से विधान-मण्डल में पुरःस्थापित नहीं किये जा सके और उक्त अध्यादेश 30 जुलाई, 2014 के पश्चात् व्यपगत हो रहा था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2014 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (द्वितीय) अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2014) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश संख्या 7 सन् 2014 को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस० बी० सिंह,
प्रमुख सचिव। *The Line of Law*

No. 1529(2)/LXXIX-V-1-14-1(Ka)-10-2014

Dated Lucknow, December 4, 2014

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhinasth Seva Chayan Ayog Adhiniyam, 2014 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 2014) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 01, 2014.

**THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION COMMISSION
ACT, 2014**

(U.P. ACT NO. 20 OF 2014)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the establishment of a Subordinate Services Selection Commission in the State for certain categories of Subordinate Services and for matters connected therewith or incidental thereto,

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

**CHAPTER-I
PRELIMINARY**

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Act, 2014.

(2) It shall come into force on June 20, 2014.

Applicability

2. The provisions of this Act shall apply in relation to direct recruitment to all Group 'C' posts below Group 'B' posts including posts in the Civil Secretariat and also to all Group 'C' posts in a Board or a Corporation or any other statutory body established by or controlled by the State Government :

Provided that the State Government may, by notification, withdraw from or add any post in the purview of the Commission.

Exception

3. Nothing in this Act shall apply to recruitment to any post-

(a) in the Secretariat of each House of the State Legislature;

(b) under the High Court or a Court subordinate thereto;

(c) under the State Public Service Commission;

(d) under the Lok Ayukt appointed under the Uttar Pradesh Lok Ayukt and Up-Lok Ayukt Act, 1975;

(e) governed by the Police Act, 1861.

Definitions

4. In this Act unless the context otherwise requires-

(a) "Appointing authority", in relation to any service or post, means the authority empowered to make appointment to such service or post;

(b) "Commission" means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission established under section 5;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission ;

(d) "Group 'C' post" means the post specified as such by the State Government from time to time;

(e) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairperson;

(f) "Other backward classes" means the backward classes specified in Schedule-1 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(g) "Secretary" means the Secretary of the Commission;

(h) "Year of recruitment" means the period of twelve months commencing on the first day of July of the Calendar year in which the recruitment is to be made.

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT OF THE COMMISSION

5. (1) On and from such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf, there shall be established a Commission to be known as the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission .

Establishment of
the Commission

(2) The Services of every whole time employee of the Commission established under the provisions of the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Act, 2006 (U.P. Act no 1 of 2006) serving in that Commission immediately before the commencement of this Act shall stand transferred to the Commission on and from the establishment thereof.

6. (1) The Commission shall consist of a Chairperson and such other Members not exceeding eight, as the State Government may from time to time appoint:

Composition of
the Commission

Provided that Member shall be eligible for appointment as Chairperson but shall not be eligible for re-appointment or continuance in office either as Member or Chairperson after the period of his term.

(2) If the office of the Chairperson becomes vacant or if the Chairperson by reason of absence or for any other reason is unable to perform the duties of his office, such duties shall, until some person appointed under sub-section (1) has assumed or, as the case may be, until the Chairperson has resumed his duties, be performed by such Member as the State Government may appoint for the purpose.

7. The Chairperson and other Members shall be appointed by the State Government:

Appointment of
Chairperson and
Members

Provided that as nearly as may be one half of the members of the Commission shall be the persons who on the date of their respective appointment have held office on Group 'A' post for at least ten years under the Government of India or under the State Government.

8. (1) The Chairperson shall be incharge of the administration of the Commission and shall have the power to-

Powers and duties
of Chairperson
and other
Members

(a) constitute Committees or sub-committees from amongst the Members with or without one or more non-members;

(b) allocate to Members, committees and sub-committees such work as is not specifically allocated by this Act, or rules or regulations made thereunder;

(c) co-ordinate the working of the Commission and its members;

(d) grant leave to and approve the tour programmes of members and officers of the Commission.

(2) The Members shall assist the Chairperson in conducting the examinations and interviews of candidates and do such other work as may be allocated to them by or under this Act, the rules or regulations made thereunder, or by the Chairperson under clause (b) of sub-section (1).

Term of office
and condition of
Service of
Members

9. (1) The Chairperson or every other Member shall hold office for a term of five years from the date he assumes his office:

Provided that no Member including the Chairperson shall hold office as such after he has attained the age of sixty-eight years or he has completed his term, whichever is earlier.

(2) The Chairperson or any other Member may, at any time, by writing under his hand addressed to the State Government resign from his office.

(3) The Chairperson or any other Member may be removed from his office by an order made by the State Government on the ground that he has acquired any of disqualifications specified in section 10 or on the ground of misconduct or incapacity after an inquiry made by a Judge of the High Court in the manner as may be prescribed in which such Member has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

Disqualification
for being the
Chairperson or
other Member

10. A person shall be disqualified for appointment as Chairperson or other Member if he-

(a) becomes an undischarged insolvent;

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the State Government, involves moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court.

Power to
associate

11. The Commission may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be determined by regulations made under this Act, any person whose assistance or advice it may desire to have in carrying out any of the provisions of this Act.

Proceedings of
the Commission
not to be
invalidated

12. No act or proceedings of the Commission shall be deemed to be invalid merely on the ground of-

(a) any vacancy or defect in the constitution of the Commission;

(b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as the Chairperson or other Member thereof ;

(c) any defect or irregularity in such act or proceeding not affecting the substance.

Secretary of the
Commission

13. (1) There shall be a Secretary of the Commission appointed by the State Government, who shall be the Head of the Office of the Commission.

(2) The Secretary shall exercise such powers and perform such duties as may be specified in the rules or regulation made under this Act or as may be directed by the Chairperson.

Authentication of
the orders of the
Commission

14. All the decision and orders of the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary or any other officer authorized by the Commission in this behalf.

CHAPTER-III

POWERS AND DUTIES OF THE COMMISSION AND ALLOCATION OF BUSINESS

Powers and
duties of the
Commission

15. (1) The Commission shall have the powers and duties,—

(a) to prepare guidelines on matters relating to the method of recruitment;

(b) to conduct examinations, hold interview and make selection of candidates;

(c) to select and invite experts and to appoint examiners for the purposes specified in clause (b);

(d) to perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed.

(2) In exercising the powers or performing the duties referred to in sub-section (1), the Commission shall be guided by such rules or regulations as may be made in this behalf.

16. The Commission shall, with previous approval of the State Government, make regulations for the convenient transaction of its business, including performance of its functions by the Chairperson or other Members or a committee thereof and the business transacted in accordance with such regulations shall be deemed to have been transacted by the Commission:

Business to be transacted by Commission

Trend
The Line of Law

Provided that it shall be lawful for the State Government to accord approval to any such regulation either in original or in modified form.

CHAPTER-IV

NOTIFICATION OF VACANCIES AND APPOINTMENT

17. (1) The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled through the Commission during the course of the year of recruitment as also the number of the vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other categories in accordance with the law for the time being in force in this behalf.

Notification of vacancies

(2) The vacancies shall be notified to the Commission in such manner as may be prescribed.

18. (1) The Commission shall, as soon as possible after the intimation of vacancies under section 17, hold examination or interview or both and prepare in such manner as may be prescribed a list of the candidates who are found suitable.

Selection by the Commission

(2) The list referred to in sub-section (1) shall be forwarded to the appointing authority and the appointing authority shall make appointments from the list so forwarded to it in the order mentioned therein.

CHAPTER-V

BUSINESS BEFORE THE COMMISSION

19. All matters at any meeting of the Commission shall be determined by a majority of the members present and voting and in the case of equality of votes, the Chairperson, or in absence of the Chairperson the member presiding shall have a second or casting vote.

Decision in meeting

20. The quorum for a meeting of the Commission shall be one-half of the total number of members:

Quorum

Provided that no quorum shall be necessary for a meeting adjourned for want of quorum.

CHAPTER-VI

ANNUAL REPORTS

21. The Commission shall prepare every year, in such form and in such manner as may be prescribed, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year, and copies thereof shall be forwarded to the State Government and the State Government, shall cause the same to be laid before both the Houses of the State legislature.

Annual Reports

CHAPTER-VII

MISCELLANEOUS

22. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules

23. (1) The Commission may, with the previous approval of the State Government, make or amend regulations relating to the discharge of its functions under this Act including charging of fees for holding examinations or interviews or both for making selection under this Act.

Power to make regulations

(2) The regulations made under sub-section (1) shall not be inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

Protection of
action taken in
good faith

24. No suit, prosecution or other proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Repeal and
Saving

25. (1) The Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (Second) Ordinance, 2014 is hereby repealed.

U.P. Ordinance
no. 7 of 2014

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) or under the Uttar Pradesh Subordinate Services Ordinance, 2014 shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

U.P. Ordinance
no. 5 of 2014

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It is necessary to select able, worthy and hardworking personnel for appointment to certain posts in administrative departments of the State. It is also necessary to ensure the quality of selection, its impartiality and transparency in their selection. Though the institution of Uttar Pradesh Public Service Commission is present at Constitutional Level but owing to increased pressure on its working, difficulty is being realised regarding selection on Group 'C' posts. In near past, selection on Group 'C' posts was being done under the direct supervision of the State Government but Head of Departments had to devote much time for the above selections which is severely affecting the Government works as well as the works of public interest. Due to all these reasons, it is quite necessary to establish an independent Subordinate Services Selection Commission consisting of the Chairperson and Members similar to that of the Uttar Pradesh Public Service Commission for timely selection on certain Group 'C' posts. It has therefore, been decided to make a law to provide for the establishment of a Commission by the name of the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission for the selection on certain Group 'C' posts in the State.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Ordinance, 2014 (U.P. Ordinance no. 5 of 2014) was promulgated by the Governor on June 2, 2014. The provisions of the said Ordinance could not be introduced in the Legislature for unavoidable reasons and the said Ordinance was going to lapse after July 30, 2014, the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (Second) Ordinance, 2014 (U.P. Ordinance no. 7 of 2014) was promulgated by the Governor on July 28, 2014.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance no. 7 of 2014.

By order,
S. B. SINGH,
Pramukh Sachiv.